

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 146-दो/2006 - विलङ्घ- आदेश दिनांक  
 3-1-2006 - पारित व्यारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर -  
 प्रकरण क्रमांक 504/1999-2000 अ-6

- 1- भगवानदास पुत्र गयादीन
  - 2- प्रभावती पत्नि स्व. मोहनलाल
  - 3- राजकिशोर पुत्र स्व. मोहनलाल
  - 4- ज्ञानवाई पुत्री स्व. मोहनलाल
  - 5- हल्कू पुत्र स्व. मोहनलाल
  - 6- अब्बू पुत्र स्व. मोहनलाल
- सभी निवासी ग्राम सहिलवारा  
 तहसील गुन्नौर जिला पंजाब  
 विलङ्घ

- 1- गोविन्द प्रसाद पुत्र विद्याधर
  - 2- महिला भूरीवाई पत्नि विद्याधर
- निवासीगण ग्राम सहिलवारा तहसील  
 गुन्नौर जिला पंजाब

--आवेदकगण

--अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)  
 (अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस०पी०धाकड़)

आ दे श  
 (आज दिनांक 5-१-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्यारा  
 प्रकरण क्रमांक 504/1999-2000 अ-6 में पारित आदेश दिनांक  
 3-1-2006 के विलङ्घ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा  
 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम सहिलवारा स्थित सर्वे क० 79, 91, 118, 121, 137, 167, 231, 258, 283, 316, 321, 428, 521, एवं 435 कुल रकबा 3.182 है। हल्काई कृषक के नाम थी। हल्काई की मृत्यु उपरांत उसकी बहिन भूरीबाई के नाम नामांतरण हुआ एवं भूरीबाई ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल पन्ना से प्रकरण क्रमांक 32/अ-27/85-86 में पारित आदेश दिनांक 11.10.86 से अपने पुत्र गोबिन्द प्रसाद के नाम बटवारा करके भूमि नाम करवा दी। तदुपरांत मोहनलाल एवं भगवानदास ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना से प्र० क० 131/अ-6/86-87 में पारित आदेश दिनांक 26.9.87 से विक्य पत्र के आधार पर अपना नामांत्रण करवा लिया। इसी दरम्यान भूमि पर महिला भूरीबाई का नाम दर्ज चले आने के कारण प्र०क० 152/अ-6/88-89 प्रारंभ हुआ एवं सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना ने आदेश दिनांक 19.7.89 से अन्य नामांतरण स्वीकार किया। इस आदेशों के विरुद्ध बंदोवस्त अधिकारी पन्ना के समक्ष दो अपील 69/88-89 एवं 51/90-91 प्रस्तुत हुई, जिनमें पारित संयुक्त आदेश दिनांक 28.4.91 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त बंदोवस्त ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 33/93-94 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 18.9.98 से अपील स्वीकार की जाकर सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 8.10.86 यथावत रखा गया।

अपर आयुक्त बंदोवस्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 18.9.98 की प्रति तहसीलदार गुनौर को पालन हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण क्रमांक 74/अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 17.6.99 से अपर आयुक्त के आदेशानुसार रिकाई दुरुस्ती की गई। इस आदेश के विरुद्ध भगवान दास पुत्र गयादीन ने अनुविभागीय अधिकारी गुनौर जिला पन्ना के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 91/98-99 में पारित आदेश दिनांक 31.5.2000 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 17.6.99 में निरस्त किया गया अपील स्वीकार की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर

*BNSL*

*(M)*

आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष अपील कमांक 504/99-2000 प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 3-1-2006 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-5-2000 को लिखत करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह अपर आयुक्त के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर गुणदोष के आधार पर पुनः आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि मोहनलाल एंव भगवानदास द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन को सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना ने प्रकरण कमांक 131 अ-6/86-87 में पारित आदेश दिनांक 26-9-87 से वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र के आधार नामांत्रण किया है इस नामान्तरण आदेश को राजस्व विभाग के विभिन्न न्यायालयों में चुनौतियों दी गई है, परन्तु किसी भी राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने यह ध्यान नहीं दिया कि विक्रय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं किया जाता, विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामान्तरण सही है तथा विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने की शक्तियों राजस्व न्यायालय को नहीं है, परन्तु प्रकरण की वास्तविक स्थिति एंव वास्तविक तथ्य पर जाये बिना अधीनस्थ न्यायालयों ने न केवल

*(M)*

*R/SK*

पक्षकारों बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है, अपितु व्यायालयों का समय भी व्यर्थ किया है जिसके कारण अधीनस्थ व्यायालयों के आदेश परस्पर विरोधाभाषी होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 504/1999-2000 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 3-1-2006 एंव उपरोक्त पद दो में दिये गये विवरण अनुसार अधीनस्थ व्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त किये जाते हैं एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र०ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-9-98 तथा सहायक बंदोवस्त अधिकारी पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 131 अ-6/86-87 में पारित आदेश दिनांक 26-9-87 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं। यह आदेश व्यायालय के प्रकरण क्रमांक 212-पीबीआर/99 पर भी यथावत् लागू होगा।

P  
NSC

  
(एम०क०सिंह)  
सदस्य  
राजस्व मंडल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर